<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/26/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 30.09.2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 24/2024</u>

विषय: चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेल, चाहें मॉड्यूल में एसेंबल या पैनल में लगे हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/26/2024-डीजीटीआर - एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड और टीपी सोलर लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेल चाहें मॉड्यूल में एसेंबल या पैनल में लगे हों अथवा नहीं (जिसे आगे सोलर से मॉड्यूल या संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद सी-एसआई या थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादित सोलर सेल या फोटो वर्टेक्स सेल चाहें मॉड्यूल में एसेंबल या पैनल में लगे हों अथवा नहीं, हैं। सोलर सेल के लिए निर्मित सोलर मॉड्यूल या पैनल विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, सोलर सेल मोनोक्रिस्टलीन या मल्टीक्रिस्टलीन हो सकते हैं और ये दोनों ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद को मुख्यत: दो उत्पादन प्रौद्योगिकियों अर्थात् क्रिस्टलीन सिलिकॉन आधारित सोलर सेल प्रौद्योगिकी (सी-एसआई) और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निर्मित किया जाता है। सी-एसआई आधारित प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के जरिए सोलर सेल या मॉड्यूल या पैनल दोनों ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

5. सोलर सेल, जिसे फोटो वोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है, एक सॉलिट - स्टेट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सूर्य के प्रकाश को फोटो वोल्टिक प्रभाव द्वारा सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। विशिष्ट मात्रा में वाट या करेंट प्राप्त करने के लिए सोलर मॉड्यूल या पैनल के रूप में अनेक सोलर सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सोलर व्यवस्था में अनेक सोलर पैनलों को एक साथ जोड़ा जाता है। थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग के मॉड्यूल भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए आपस में जोड़े जाते हैं।

6. संबद्ध वस्तु में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 85 में टैरिफ मद 8541 4200 और 8541 4300 के अधीन वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

7. लागत और कीमत की दृष्टि से अंतर पर विचार करते हुए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।

क्र.सं.	विचाराधीन उत्पाद के प्रकार	कोड विवरण	शब्द-संक्षेप
1.	सोलर सेल	मोनोक्रिस्टलीन सेल्स	मोनो-सेल्स
		मल्टी-क्रिस्टलीन सेल्स	मल्टी-सेल्स
2.	सोलर मॉड्यूल्स		मॉड्यूल्स

8. वर्तमान जांच में पक्षकार इस जांच की शुरूआत के 30 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावति पीसीएन के संबंध में साक्ष्य के साथ विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदकों ने बताया है कि सी-एसआई या थिन फिल्म प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तथापि, आवेदकों ने दावा किया है कि दोनों उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, अनुप्रयोग और अंतिम प्रयोग, कीमतों आदि सहित सभी भौतिक पहलुओं में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सी-एसआई प्रौद्योगिकी या प्रयोग से सोलर सेल और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सोलर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। तथापि, सी-एसआई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से घरेलू उद्योग ने सोलर मॉड्यूल का उत्पादन नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि सी-एसआई मॉड्यूल देश में आयातित किए जा रहे हैं तथा थिन फिल्म मॉड्यूल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए जा रहे हैं। सभी प्रकार से समान या एक समान वस्तु के अभाव में थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादित सोलर मॉड्यूल या पैनल को सी-एसआई सेलों के प्रयोग से उत्पादित सोलर मॉड्यूल या पैनलों के समान वस्तु माना गया है जिनमें आयातित वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।

10. तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात वास्तविक महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेर्शन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>संबद्ध देश और उसकी स्थिति</u>

11. यह आवेदन एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड और टीपी सोलर लिमिटेड द्वारा दायार किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में समान वस्तु के विनिर्माण में लगभग 130 अन्य घरेलू उत्पादक शामिल हैं।

12. आवेदकों ने दावा किया है कि 3 आवेदकों सहित भारत में सोलर सेल के केवल 6 ज्ञात उत्पादक हैं। इन 6 सेल उत्पादकों में से जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को छोड़कर सभी अन्य सेल उत्पादकों ने भारी मात्रा में संबद्ध देश से सेल का आयात किया है और इसलिए वे अयोग्य हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड एसईजेड क्षेत्र में स्थित है और इसलिए अयोग्य है। एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सोलर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। पूर्वोक्त सेल उत्पादकों और एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, सभी अन्य घरेलू उत्पादक भारतीय उत्पादकों से सोलर सेल खरीद कर या चीन और अन्य देशों से सेल का आयात करके सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर कोई भी अन्य घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि ऐसी उत्पादक या तो विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं या वे घरेलू उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए सोलर सेल को सोलर मॉड्यूल में परिवर्तित करने की पर्याप्त उत्पादन प्रक्रिया नहीं करते हैं या एसईजेड में स्थित हैं।

13. यह सीमा शुल्क आंकड़ों से यह देखा जाता है कि जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को छोड़कर भारत में अन्य सभी सेल उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से सेलों का भारी मात्रा में आयात किया है जो कुछ मामलों में उनकी उत्पादन क्षमता से भी अधिक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन उत्पादकों का फोकस भारत में वस्तुओं के निर्माण तक सीमित नहीं हैं। तदुनसार, प्राधिकारी की पूर्ववर्ती स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ये सेल विनिर्माता जो संबद्ध देश से भारी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात करते हैं। नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र नहीं हैं।

14. यह भी नोट किया जाता है कि वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड एक एसईजेड इकाई है जो उसके विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी की पूर्ववर्ती स्थापित प्रक्रिया के आधार पर वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने के पात्र नहीं हैं।

15. भारत में सोलर मॉड्यूल के उत्पादकों के संबंध में एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड थिन फिल्म तकनीक के प्रयोग से सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करती हैं। उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यद्यपि उत्पादक तीसरे देशों से समान उत्पाद के निर्यातकों से संबंधित है। तथापि, वह संबद्ध देश से कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। यह कंपनी नियमावली के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर सोलर मॉड्यूल के सभी अन्य भारतीय उत्पादकों ने घरेलू रूप से उत्पादित सेलों या आयातक सेलों के प्रयोग से मॉड्यूल का उत्पादन किया है। यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसे घरेलू उत्पादक जो सोलर सेल का आयात कर रहे हैं। सेलों का आयातक होने के कारण घरेलू उद्योग बनने के पात्र नहीं हैं। ऐसे उत्पादकों के संबंध में जिन्होंने घरेलू बाजार या आयातों से सेलों की खरीद के बाद मॉड्यूल का उत्पादन किया है, यह नोट किया जाता है कि ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सेल और मॉड्यूल दोनों विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं और सेल बनाने के स्तर पर प्रमुख विनिर्माण कार्यकलाप माने जाते हैं। जबकि सेल से मॉड्यूल बनाने के लिए केवल वृद्धिशील उत्पादन और कम मूल्यवर्धन किया जाता है। यदि ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया जाए तो उससे भारतीय उत्पादन की दोहरी गणना हो जाएगी क्योंकि समान उत्पादन को सेल के स्तर पर और मॉड्यूल के स्तर दोनों स्तर पर गिना जाएगा। यह ऐसे मामलों में प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया भी रही है, जहां कोई उत्पाद या उसका आगे प्रसंस्करण उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना जाता है।

17. तदनुसार, उक्त के आधार पर यह नोट किया जाता है कि केवल एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड के उत्पादन को कुल पात्र घरेलू उत्पादन का हिस्सा माना जाएगा। एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड इस प्रकार से संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनते हैं जिनमें वे उत्पादक शामिल नहीं हैं जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या

आयातकों से संबंधित हैं या स्वयं उसके आयातक हैं। एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसके मद्देनजर यह नोट किया गया है कि जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

18. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

19. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल हैं।

च. <u>कथित पाटन के लिए आधार</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

20. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। आवेदकों ने संबद्ध वस्तु के भारत में तीसरे से आयात के समय आयात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर दावा किया है। इस संबंध में, आवेदकों ने भारत में मलेशिया से आयातों की कीमत पर विचार किया है। ऐसे आयातों की कीमत को कारखानाद्वार सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए समायोजित किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने भारत में देय कीमत के आधार

पर सामान्य मूल्य का दावा किया है जो उसकी विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत पर आधारित है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के समायोजन के बाद विचार किया है।

निर्यात कीमत

21. आवेदकों ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के सौदावार आंकड़ों में यथा सूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत के आधार पर संबद्ध वस्तु के निर्यात पर विचार किया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा और कमीशन के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

22. संबद्ध वस्तु की सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

23. आवेदकों ने यह सिद्ध करते हुए प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रदान किए हैं कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों की कीमत पर भारी गिरावट आई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और उन्होंने घरेलू उद्योग कीमत में ह्रास किया है। बाजार में बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और मांग के बावजूद घरेलू उद्योग को भारी अप्रयुक्त क्षमताओं और बाजार में नगण्य हिस्से का सामना करना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, मालसूची में काफी वृद्धि हुई

है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयातों की मौजूदगी से भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर लगभग शून्य आय हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के 3 बाजार खंड हैं अर्थात् पुन: निर्यात के लिए आयात, घरेलू वस्तु आवश्यकता (डीसीआर) सहित परियोजनाएं और खुला बाजार हैं। चूंकि डीसीआर बाजार में परियोजनाओं को घरेलू रूप से वस्तुओं की अनिवार्य खरीद करना अपेक्षित है। इसलिए ऐसे बाजार पाटित आयातों के कुल प्रभावों से सुरक्षित होते हैं। तथापि, खुले बाजार में जहां मुख्य प्रतिस्पर्धा है, वहां घरेलू उद्योग अपनी वस्तुएं बेचने में असमर्थ हैं और उसकी व्यावहारिक रूप से कोई बिक्रियां नहीं हैं क्योंकि वह पाटित आयात से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है।

24. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि आयातों से एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में वास्तविक मंदी आई है, जो अपनी अनुमानित बिक्रियां और अनुमानित बिक्री कीमत हासिल करने में असमर्थ रहा है और उसे अनुमानित लाभप्रदता के मुकाबले भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध आयातों से आयातों की वृद्धि की तीव्र दर, संबद्ध देश में भारी अप्रयुक्त क्षमताओं, तीसरे देशों द्वारा लागू उपायों के मद्देनजर घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने का खतरा है और यह आयात ऐसी कीमतों पर हुए हैं जिससे घरेलू उद्योग की कीमत पर और अधिक ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अंतिम रूप से घरेलू उद्योग ने यह भी ध्यान दिलाया है कि देश में भारी क्षमता वृद्धि हो रही है, जो यदि पाटित आयातों को नियंत्रित नहीं रखा गया तो गंभीर खतरे में है।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

26. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा,

और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

27. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

28. प्राधिकरण को सभी पत्र-व्यवहार ई-मेल पते jd12-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

29. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना / अनुरोध प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या संबद्ध देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

35. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश

भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

37. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

40. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

41. हितबद्ध पक्षकार संबंधित अनुरोधों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

42. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए

किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

43. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

44. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

45. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें । अनुरोधों के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी